

196
9

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत: क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 अगस्त 2016—भाद्रपद 2, शक 1938

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-17-106/2009/25-2. — अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 7 “राहत एवं सहायता” में उल्लिखित अपराध का नाम और राहत की न्यूनतम राशि संबंधी अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“अनुसूची

उपाबंध-1

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12 (4) देखिये]

राहत राशि के लिए मापदंड

क्रम सं. (1)	अपराध का नाम (2)	राहत की न्यूनतम राशि (3)
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना [अधिनियम की धारा 3(1)(क)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया

659

(1)	(2)	(3)
2.	मल-मूत्र, मूत्र, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]	जाए : (एक) क्रम संख्या (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्या (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
3.	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]	(दो) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत;
4.	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना [अधिनियम की धारा 3(1)(घ)]	(तीन) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्या (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत;
5.	बलपूर्वक ऐसे कोई कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना [अधिनियम की धारा 3(1)(ड)]	
6.	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना [अधिनियम की धारा 3(1)(च)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्च पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
7.	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना [अधिनियम की धारा 3(1)(च.)]	(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
8.	बेगार या अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम [अधिनियम की धारा 3(1)(ज)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम

<p>9. मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(झ.))]</p>	<p>पर 25 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।</p>
<p>10. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ञ.))]</p>	
<p>11. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने [(अधिनियम की धारा 3(1)(ट.))]</p>	
<p>12. मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ठ.))]</p>	<p>पीड़ित व्यक्ति को पच्चासी हजार रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:</p>
<p>13. पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभिन्नस्त करना या उनमें व्यवधान डालना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ड.))]</p>	<p>(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।</p>
<p>14. मतदान के पश्चात् हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण [(अधिनियम की धारा 3(1)(ढ.))]</p>	
<p>15. किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना</p>	

	[[अधिनियम की धारा 3(1)(ण)]]	
16.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक क्लारवाइयां संस्थित करना [[अधिनियम की धारा 3(1)(त)]]	पीड़ित व्यक्ति को पच्चासी हजार रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 25 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
17.	किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना [[अधिनियम की धारा 3(1)(थ)]]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 25 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
18.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास [[अधिनियम की धारा 3(1)(द)]]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 25 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत;
19.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौच करना [[अधिनियम की धारा 3(1)(ध)]]	(तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के

6

20	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना [[अधिनियम की धारा 3(1)(न)]]	दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
21.	शत्रुता, घृणा से वैमनस्य की भावनाओं में अभिवृद्धि करना [[अधिनियम की धारा 3(1)(प)]]	
22.	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना [[अधिनियम की धारा 3(1)(फ)]]	
23.	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यो या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना [[अधिनियम की धारा 3(1)(ब)]]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 25 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
24.	भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 326ख स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना [[अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक)]]	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य हास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रुपये। (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रुपये। (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है

		<p>को पचासी हजार रुपये।</p> <p>इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा।</p> <p>मद (क) से (ग) के निबंधनानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <p>(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 50 प्रतिशत;</p> <p>(दो) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।</p>
25.	<p>भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 354स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।</p> <p>[(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]</p>	<p>पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:</p> <p>(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 50 प्रतिशत;</p> <p>(दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत;</p> <p>(तीन) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।</p>
26.	<p>भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 354 (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड</p> <p>[(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]</p>	<p>पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:</p> <p>(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 50 प्रतिशत;</p> <p>(दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत;</p> <p>(तीन) निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।</p>

27.	भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 354ख निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
28.	भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 354ग दृश्यरतिकता [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
29.	भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 354घ पीछा करना [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
30.	भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 376ख पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन [(अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (एक) चिकित्सा परीक्षण और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत, (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत,

			(तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
31.	31.	भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 376ग प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन [[अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (एक) चिकित्सा परीक्षण और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32.	32.	भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 509 शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है [[अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 25 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
33.	33.	जल को दूषित या गंदा करना [[अधिनियम की धारा 3(1)(भ)]	सामान्य सुविधा, जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक आस्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34.	34.	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रुद्धिजन्य अधिकार से इंकार या लोक समागम के ऐसे स्थान	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का

<p>का उपयोग करने या उस पर पहुँच रखने में बाधा पहुँचाना [(अधिनियम की धारा 3(1)(म)]</p>	<p>खर्च, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 25 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।</p>
<p>35. गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(य)]</p>	<p>संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत तथा सरकारी खर्च पर गृह का पुनः सन्निर्माण, यदि विनष्ट हो गया है, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रकम पर 25 प्रतिशत; (दो) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।</p>
<p>36. निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बाधा डालना या निवारित करना - (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुँआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग</p>	<p>(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुँआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपए की राहत, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25</p>

<p>[(अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)]</p>	<p>प्रतिशत; (दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (तीन) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।</p>
<p>(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना</p> <p>[(अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)]</p>	<p>(आ): सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <p>(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (तीन) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।</p>
<p>(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा हैं, निकालना या उनमें भाग लेना।</p> <p>[(अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)]</p>	<p>(इ): अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा हैं, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <p>(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत;</p>

		(दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (तीन) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग [(अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ई)]	(ई): किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं के उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (तीन) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।	
(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। [(अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ)]	(उ): कोई व्यवसाय करने या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग के उपयोग करने की या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय	

		को भेजा जाता है; (तीन) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
37.	डायन होने या जादू-टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना। [[अधिनियम की धारा 3(1)(यख)]]	पीड़ित को एक लाख रूपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय। (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (तीन) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
38.	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना [[अधिनियम की धारा 3(1)(यग)]]	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39.	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। [[अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii)]]	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (तीन) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
40.	भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है।	पीड़ित और या उसके आश्रितों को चार लाख रूपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया।

	[[अधिनियम की धारा 3(2)]]	<p>हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <p>(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत;</p> <p>(दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;</p> <p>(तीन) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।</p>
41.	<p>भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा कि ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्ट किया गया है।</p> <p>[[अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(va)]]</p>	<p>पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <p>(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत;</p> <p>(दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;</p> <p>(तीन) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।</p>
42.	<p>लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना।</p> <p>[[अधिनियम की धारा 3(2)(vii)]]</p>	<p>पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <p>(एक) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत;</p> <p>(दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;</p> <p>(तीन) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।</p>
43.	<p>निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-18/97-एनआई तारीख 1 जून, 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए अन्तर्विष्ट विभिन्न निःशक्तताओं के</p>	

	मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।	
	(क) शत-प्रतिशत अक्षमता	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत; (दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ख) जहां अक्षमता शत-प्रतिशत से कम है किंतु पचास प्रतिशत से अधिक है।	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत; (दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ग) जहां अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को दो लाख पचास हजार रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत; (दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44.	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (1) बलात्संग भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 375	पीड़ित को पांच लाख रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत; (दो) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।

	(2) सामूहिक बलात्संग, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 376घ	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत; (दो) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (तीन) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
45.	हत्या या मृत्यु	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपये, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (एक) शव परीक्षण के पश्चात् 50 प्रतिशत; (दो) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर।
46.	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष।	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :- (एक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रुपए की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुंब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध; (एक) पीड़ित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण। बालकों को सरकार द्वारा

		पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा; (दो) बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन, आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबंध।
47.	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना।	ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.